

कार्यालय: प्रधानाचार्य, राजर्षि दशरथ, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या।

पत्रांक:— मे0का0अ0/विज्ञापन/2021/2118

दिनांक: 31 दिसम्बर 2021

विज्ञप्ति

संविदा के आधार पर आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य के पदों पर सेवायोजन हेतु

राजर्षि दशरथ, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या के निम्नलिखित विभागों में आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के अस्थाई पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र एदद द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। निम्न पदों पर वाक इन इंटरव्यू (Walk in interview) पद्धति से चयन किया जाना है।

इच्छुक अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि साक्षात्कार के समय अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों, विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से प्रत्येक मंगलवार में प्रधानाचार्य कार्यालय राजर्षि दशरथ, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या में समय प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे के मध्य उपस्थित हो।

रिक्त पदों की संख्या नीचे तालिका में दर्शायी जा रही है। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह साक्षात्कार दिवस को अपने समस्त शैक्षिक/जाति/अनुभव प्रमाण-पत्र/शोध पत्रों की (स्व-प्रमाणित) छायाप्रति के दो सेट बायोडाटा व 04 रंगीन फोटो सहित लायेंगे।

S N	Name of Specialty	Professor				Associate Professor				Assistant Professor			
		UR	OBC	SC	EWS	UR	OBC	SC	EWS	UR	OBC	SC	EWS
1	Orthopaedic Surgery	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-
2	TB & Chest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
3	Community Medicine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
4	Pharmacology	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Microbiology	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Radio Diagnosis	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Paediatrics	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Medicine	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-

उक्त पदों की नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं—

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले पदों का वेतन मानदेय आचार्य पद पर— ₹0 1,35,000.00/प्रतिमाह, सह-आचार्य पद पर— ₹0 1,20,000.00/प्रतिमाह, सहायक आचार्य पद पर— ₹0 90,000.00/प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदन को Medical Counselling of India, Minimum Qualification for Teacher in Medical Institutions, 1998 यथा संशोधित द्वारा शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष के कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते हैं।
- संविदा के सम्बन्धित नियम एवं शर्तें समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार अनुमन्य होगी।

नोट:—

- आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी न मिलने पर अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को संविदा पर, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी मिलने तक लिया जा सकता है।
- साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को भी किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


प्रधानाचार्य

राजर्षि दशरथ, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
अयोध्या।